रजिस्ट्री सं० डी० 222

REGISTERED No. D. 222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 38] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 19, 1970/भाद्र 28, 1892

No. 38] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 19, 1970/BHADRA 28, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड—(i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये गये साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 28th August 1970

G.S.R. 1342.—In exercise of the powers conferred by section 18 of the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Citizenship Rules, 1956, namely:—

1. (1) These rules may be called the Citizenship (Amendment) Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

संचार विभाग

नई दिल्ली 22 अक्तूबर, 1969

सा०का०नि० 2517.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा विदेश संचार सेवा (वर्ग III पद) भर्ती नियम 1968 में संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम विदेश संचार सेवा (वर्ग III पद) भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियम, 1969 कहे जा सकेंगे।

   (2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विदेश संचार सेवा (वर्ग III पद) भर्ती नियम, 1968 की अनुसूची में "I–प्रशासनिक/लेखा/भंडार शाखा" शीर्षक के नीचे, क्रमसंख्या 7 के सामने और "II–यातायात शाखा" शीर्षक के नीचे क्रम संख्या 9 के सामने स्तम्भ 10 में "सीधी भर्ती द्वारा" प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अन्त: स्थापित किया जाएगा; अर्थात् :—

"**टिप्पण.**—रिक्तियों का 10% वर्ग 4 कर्मचारियों (जो नियमित स्थापन पर हैं) द्वारा भरे जाने के लिये निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन आरक्षित रखी जाएंगी.—

(क) चयन, विभागीय परीक्षा के माध्यम से जो ऐसे वर्ग 4 कर्मचारियों तक सीमित होगी जो न्यूनतम शैक्षिक अर्हता अर्थात् मैट्रीकुलेशन या समतुल्य की अपेक्षा पूरी करते हों, किया जाएगा।

(ख) इस परीक्षा के लिये अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये 45 वर्ष)

(ग) वर्ग 4 में कम से कम 5 वर्ष की सेवा आवश्यक होगी।

(घ) इस पद्धति द्वारा भर्ती किये जाने वालों की अधिकतम संख्या किसी वर्ष में होने वाली निम्न श्रेणी लिपिक के काडर की रिक्तियों के 10% तक सीमित होगी; बिना भरी गई रिक्तियों को अगले वर्ष हिसाब में नहीं लिया जाएगा।"

[सं० 2–ओसी (12)/69]

एम० एम० पृथी, अवर सचिव।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 25th August 1970

G.S.R. 1669.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class II Posts) Recruitment Rules, 1962, namely:—

(1) These rules may be called the All India Radio (Class II Posts) Recruitment (4th Amendment) Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Class II Posts) Recruitment Rules, 1962 after Serial No. 22 and the entries relating thereto, the following shall be inserted namely:—

1	2	3	4	5	6	7
"23. Research Assistant (Work Study)	2	General Central Service Class II (Non-Gazetted) Non Ministerial.	Rs. 325-15-475-EB-20-575.	Not applicable.	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants.)	*Essential* (i) Degree of a recognised University or equivalent. (ii) About one years' experiece or training in the application of work study techniques or Organisation and Methods or Analytical or Statistical operational Research Techniques, in a Government or Semi-Government organisation or a concern of repute. (Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidate otherwise well qualified). *Desirable* : Knowledge of Government rules and regulations.

8	9	10	11	12	13
Not applicable.	2 years.	By transfer on deputation failing which by direct recruitment.	*Transfer on deputation*: Assistants of the Central Secretariat Service possessing qualifications laid down under column 8 and having at least 5 years' service in the grade. (Period of deputation ordinarily not exceedng 3 years).	Not applicable.	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation Regulation, 1958)".

[No. 1/4/70-B(A)]

A. V. NARAYANAN, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 1970

जी० एस० आर० 1669 :—संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्ध द्वारा अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति आकाशवाणी (द्वितीय श्रेणी पद) भर्ती नियमावली, 1962 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं :—

(1) इन नियमों को आकाशवाणी (द्वितीय श्रेणी) भर्ती (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1970 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (द्वितीय श्रेणी पद) भर्ती नियमावली, 1962 के परिशिष्ट में क्रम संख्या 22 तथा इससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित रखा जाये :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	अनुसंधान सहायक (वर्क स्टडी)	2	सामान्य केन्द्रीय सेवा द्वितीय श्रेणी (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय	325-15-475 द०अ०-20-575 रुपये	लागू नहीं होना	30 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिये छूट दी जा सकेगी)।

(8)	(9)	(10)
आवश्यक : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री या इसके समकक्ष। (2) वर्क स्टडी की प्रविधियों या संगठन और प्रणाली या वैश्लेषिक या सांख्यकी चालन अनुसंधान प्रविधियों के प्रयोग का किसी सरकारी या अर्ध सरकारी संगठन या किसी प्रसिद्ध अदारे में लगभग 1 वर्ष का अनुभव या प्रशिक्षण (अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों को आयोग अपने विवेक से इन अर्हताओं में छूट दे सकेगा)। **वांछनीय** सरकारी नियम-विनियमों का ज्ञान।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(11)	(12)	(13)	(14)
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण— इसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	**प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण** : केन्द्रीय सचिवालय सेवा के वे सहायक जो कालम 8 के अन्तर्गत दी गई अर्हताएं रखते हों और ग्रेड में 5 वर्ष का अनुभव रखते हों (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	लागू नहीं होता	जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (विचार विमर्श से छूट) विनियम, 1958) के अन्तर्गत अपेक्षित है।

[संख्या फा० 1/4/70—बी(ए).]

ए० वी० नारायणन, अवर सचिव।